प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील संख्या 250/2004

मनोज कुमार मिश्रा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

प्रकरण दिनांक 06-12-2012 हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री राधेश्याम शर्मा, न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 250/2004

अपीलार्थी:

मनोज कुमार मिश्रा, आत्मज श्री शंकर मिश्रा, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी ग्राम खुरैना, थाना अरुनिया, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), वर्तमान निवासी: 20 नंबर डोमनहिल, थाना चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से श्री प्रफुल्ल भारत एवं श्री केशव देवांगन, अधिवक्तागण।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री विनय हारित, उप महाधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 6 दिसंबर, 2012 को पारित किया गया)

यह अपील अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 318/2001 में पारित निर्णय दिनांक 24-2-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की स्थिति में उसे 5 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, इस प्रकार है:

दिनांक 14-5-2001 को, रात्रि लगभग 10:00 बजे, अपीलार्थी मनोज कुमार मिश्रा चिरमिरी स्थित शिव मंदिर के पास शराब बेच रहा था। आहत मुन्नालाल (अभि.सा.-2), इलियास (अभि.सा.-3), दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) और एक सुधीर शर्मा अपीलार्थी के पास गए और अपीलार्थी को शराब बेचने से मना किया। अपीलार्थी ने मुन्नालाल (अभि.सा.-2) को

अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया, अपने घर के अंदर गया, फरसा लेकर आया और मुन्नालाल (अभि.सा.-2) पर उससे हमला कर दिया। अपीलार्थी ने मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के सिर, दाहिने कंधे, बाएं हाथ और दाहिने हाथ पर फरसे से वार किया। इलियास (अभि.सा.-3), दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) और सुधीर शर्मा ने बीच-बचाव किया और मुन्नालाल (अभि.सा.-2) को बचाया। मुन्नालाल (अभि.सा.-2) ने थाना चिरमिरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराई। मुन्नालाल (अभि.सा.-2) को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिरमिरी भेजा गया। डॉ. ए.के. अग्रवाल (अभि.सा.-1) ने मुन्नालाल (अभि.सा.-2) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) दिया, जिसमें उन्होंने पाया-

(i) कटा हुआ घाव, 5x0.6 सेमी, खोपड़ी के दाहिने पार्श्व और कनपटी क्षेत्र पर हड्डी की गहराई तक;

(ii) कटा हुआ घाव, 4x0.5 सेमी, खोपड़ी के पश्चकपाल क्षेत्र पर हड्डी की गहराई तक;

(iii) कटा हुआ घाव, 2x0.3 सेमी, बाईं कलाई पर हड्डी की गहराई तक;

(iv) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी, बाएं अंगूठे के आधार पर त्वचा की गहराई तक;

(v) कटा हुआ घाव, 1x0.1 सेमी, बाईं तर्जनी अंगुली पर त्वचा की गहराई तक;

(vi) कटा हुआ घाव, 1x0.1 सेमी, बाईं मध्यमा अंगुली पर त्वचा की गहराई तक;

(vii) कटा हुआ घाव, 1.5x0.2 सेमी, बाईं अनामिका अंगुली के मध्य भाग पर त्वचा की गहराई तक;

(viii) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी, दाहिने कंधे के जोड़ पर त्वचा की गहराई तक;

(ix) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी, दाहिने कंधे पर त्वचा की गहराई तक।

उन्होंने एक्स-रे की सलाह दी।

आगे के अन्वेषण में, घटनास्थल से सादी मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी प्रदर्श पी-5 के माध्यम से जब्त की गई। आहत मुन्नालाल (अभि.सा.-2) की फुल पैंट भी प्रदर्श पी-3 के माध्यम से जब्त की गई। पटवारी बी.आर. जायसवाल ने नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-4) तैयार किया। अन्वेषण अधिकारी ने भी स्थल नक्शा (प्रदर्श पी-7) तैयार किया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनेंद्रगढ़ के न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, सरगुजा को उपार्पित किया, जहाँ से अंतरण पर यह अपर सत्र न्यायाधीश, मनेंद्रगढ़ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत एवं श्री केशव देवांगन ने तर्क दिया कि मुन्नालाल (अभि.सा.-2) का साक्ष्य विरोधाभासों से भरा है। इलियास (अभि.सा.-3) और दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त होने का पात्र है।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण संख्या 318/2001 के अभिलेख का अत्यंत सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि आहत मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के साक्ष्य पर आधारित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. रंजीत सिंह एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 2011 एससी 255 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "17... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, एक एकल साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन साक्षी द्वारा दिया गया साक्ष्य जो विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सत्य है; परंतु जहाँ एक दाण्डिक न्यायालय को बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े अपराध के कारित होने से संबंधित साक्ष्य के साथ कार्यवाही करना पड़ता है, वहाँ आमतौर पर यह परीक्षण अपनाना सामान्य है कि दोषसिद्धि तभी कायम रखी जा सकती है जब वह दो या तीन या अधिक साक्षी द्वारा समर्थित हो जो घटना का सुसंगत विवरण देते हों। एक अर्थ में, परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है; परंतु यह समझना कठिन है कि इसे तर्कहीन या अनुचित कैसे माना जा सकता है।"
>
> 18. मुथु नायकर एवं अन्य विरुद्ध तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1978 एससी 1647 में, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जहाँ एक साक्षी पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों से गठित एक

विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हमला किया गया हो, न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जहाँ न्यायालय का यह मत हो कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्षी का अभिकथन विश्वसनीय नहीं है, तो उसे स्वीकार करने से पहले एक या अधिक अन्य साक्षी द्वारा संपुष्टि कराये जाने पर जोर देना चाहिए।

19. ....."साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती जब तक कि साक्षी की एक निश्चित न्यूनतम संख्या ने किसी विशेष अभियुक्त की पहचान विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में न की हो। यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए अपितु मूल्याकन किया जाना चाहिए और साक्ष्य की मात्रा नहीं अपितु गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि एक एकल साक्षी का साक्ष्य, यदि पूर्णतः विश्वसनीय है, तो किसी अभियुक्त की पहचान एक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी जब विधिविरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस प्रकरण में है) और कई व्यक्तियों ने घटना देखी हो..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. **तकदीर समसुद्दीन शेख विरुद्ध गुजरात राज्य एवं अन्य, एआईआर 2012 एससी 37** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"10. .....इस संबंध में दिए गए तर्क यह रहे थे कि श्री भरत राजेंद्रप्रसाद त्रिवेदी (अभि.सा.-1) फर्म में भागीदार होने के नाते यहाँ शामिल भूमि के लेन-देन में लाभार्थी होंगे यदि एक भागीदार को हटा दिया जाता है और दूसरा भागीदार कारागार चला जाता है। ऐसा तर्क दो कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

(i) साक्षी को 'हितबद्ध साक्षी' मानते हुए उसके साक्ष्य का विश्लेषण करते समय, न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हितबद्ध' शब्द यह मानता है कि साक्षी का अभियुक्त को किसी अन्य कारण से किसी न किसी तरह दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष हित होना चाहिए।

(ii) न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एक एकल साक्षी के परिसाक्ष्य पर कार्यवाही

कर सकता है और वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। किसी व्यक्ति को एकमात्र साक्षी के अभिकथन पर दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का महत्व है। परंतु यदि अभिकथन के बारे में संदेह है, तो न्यायालय संपुष्टि पर जोर देगा। वास्तव में, यह संख्या, मात्रा नहीं, अपितु गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है। यह सुस्थापित सिद्धात है कि साक्ष्य का मूल्याकन किया जाना चाहिए न कि गिना जाना चाहिए। परीक्षण का मापदण्ड यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता की झलक है, वह सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं। विधिक प्रणाली ने साक्ष्य की मात्रा, बहुलता या साक्षी की बहुलता के बजाय मूल्य, महत्व और गुणवत्ता पर बल दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह एक अकेले साक्षी पर पूर्ण रूप से भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो वह कई साक्षी के अभिकथन के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. बिपिन कुमार मोंडल विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4470 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया:

"25. सुनील कुमार विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (2003) 11 एससीसी 367: (एआईआर 2004 एससी 552: 2003 एआईआर एससीडब्ल्यू 6026) के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने इसी प्रकार के एक तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सामान्य नियम के रूप में न्यायालय एकल साक्षी के अभिकथन पर भी कार्यवाही कर सकता है बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। एकमात्र साक्षी के अभिकथन पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यही साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का महत्व है। परंतु यदि अभिकथन के बारे में संदेह है तो न्यायालय संपुष्टि पर जोर देगा। वास्तव में, यह संख्या, मात्रा नहीं, अपितु गुणवत्ता है जो महत्वपूर्ण है। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य का मूल्याकन किया जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए। परीक्षण का मापदण्ड यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता की झलक है, वह सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं।"

9. मुन्नालाल (अभि.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया दिया कि घटना की तिथि पर अपीलार्थी मनोज कुमार मिश्रा चिरमिरी स्थित शिव मंदिर के पास शराब बेच रहा था। वह इलियास (अभि.सा.-3), दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) और सुधीर शर्मा के साथ अपीलार्थी के पास गया और उसे शराब बेचने से मना किया। अपीलार्थी ने उसे अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया दिया कि अपीलार्थी अपने घर के अंदर गया, फरसा लेकर आया और उसके सिर, कंधे, बाएं हाथ और दाहिने हाथ पर हमला किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया दिया कि इलियास (अभि.सा.-3), दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) और सुधीर शर्मा ने बीच-बचाव किया और उसे अस्पताल ले गए। दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) ने अभिसाक्ष्य दिया दिया कि मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के सिर पर दो चोटें आई थीं।

10. मुन्नालाल (अभि.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने थाना चिरमिरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) दर्ज कराई और उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु सेंट्रल अस्पताल, चिरमिरी भेजा गया। डॉ. बलदेव प्रसाद (अभि.सा.-6) ने अभिसाक्ष्य दिया दिया कि वह 1999 से क्षेत्रीय अस्पताल, कुरसिया, चिरमिरी में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ थे। दिनांक 15-5-2001 को, उन्होंने आहत मुन्नालाल (अभि.सा.-2) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-8) दिया, जिसमें उन्होंने बाएं हाथ पर कई विदीर्ण घाव और माथे पर कटा हुआ घाव पाया। डॉ. ए.के. अग्रवाल (अभि.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने मुन्नालाल (अभि.सा.-2) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन(प्रदर्श पी-1) दिया जिसमें उन्होंने पाया- (i) कटा हुआ घाव, 5x0.6 सेमी, खोपड़ी के दाहिने पार्श्व और कनपटी क्षेत्र पर हड्डी की गहराई तक, (ii) कटा हुआ घाव, 4x0.5 सेमी पश्चकपाल क्षेत्र पर हड्डी की गहराई तक, (iii) कटा हुआ घाव, 2x0.3 सेमी, बाईं कलाई पर हड्डी की गहराई तक, (iv) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी बाएं अंगूठे के आधार पर त्वचा की गहराई तक, (v) कटा हुआ घाव, 1x0.1 सेमी बाईं तर्जनी अंगुली पर त्वचा की गहराई तक, (vi) कटा हुआ घाव, 1x0.1 सेमी बाईं मध्यमा अंगुली पर त्वचा की गहराई तक, (vii) कटा हुआ घाव, 1.5x0.2 सेमी बाईं अनामिका अंगुली के मध्य भाग पर त्वचा की गहराई तक, (viii) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी दाहिने कंधे के जोड़ पर त्वचा की गहराई तक, (ix) कटा हुआ घाव, 1x0.2 सेमी दाहिने कंधे पर त्वचा की गहराई तक। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने आहत को एक्स-रे की सलाह दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि चोट संख्या (i) और (ii) जीवन के लिए खतरनाक थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. घटना की तिथि और समय 14-5-2001 लगभग रात्रि 10:00 बजे है और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) उसी दिन लगभग रात्रि 11:45 बजे दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) घटना के दो घंटे के भीतर दर्ज की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) बिना किसी विलंब के दर्ज की गई थी।

12. मैंने मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। उसने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर, अपीलार्थी ने उस पर फरसे से हमला किया और इससे उसके शरीर पर कई कटे हुए घाव हो गए। दीनू देवांगन (अभि.सा.-4) ने आहत मुन्नालाल (अभि.सा.-2) को आई चोटों को देखा था। उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई चोटें आई थीं। मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि मुन्नालाल (अभि.सा.-2) का साक्ष्य विश्वसनीय और सुसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अब, यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थी का अपराध धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मुन्नालाल (अभि.सा.-2) के स्वयं के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसके और अपीलार्थी के बीच शराब बेचने के कारण विवाद हुआ था। अभियोजन पक्ष ने चोटों की प्रकृति को प्रमाणित नही किया है। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि मुन्नालाल (अभि.सा.-2) को आई चोटें जीवन के लिए घातक नहीं थीं और इसलिए, धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है। अपीलार्थी का कृत्य धारा 324 भा.दं.सं. के अंतर्गत दण्डनीय है। अपीलार्थी दिनांक 16-7-2001 से 21-8-2001 तक कारावास में रहा, अर्थात लगभग 1 माह और 5 दिन। तत्पश्चात, अपीलार्थी दिनांक 24-2-2004 से 12-3-2004 तक कारावास में रहा, अर्थात लगभग 18 दिन। कुल मिलाकर, अपीलार्थी लगभग 1 माह और 23 दिन कारागार में रहा। न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी यदि अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले से काटी गई अवधि के लिए दण्डित किया जाए।

15. राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हारित ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया।

16. मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध केदार यादव, (2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 1008 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

> "12. इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए, यह अनिवार्य नहीं है कि जो ऐसी शारीरिक चोट वास्तव मे पहुँचाई गई हो, जो मृत्यु कारित करने मे सक्षम हो। यद्यपि वास्तव में कारित चोट की प्रकृति अभियुक्त के आशय के संबंध में निष्कर्ष पर पहुँचने में काफी सहायता दे सकती है, ऐसे आशय का अनुमान अन्य परिस्थितियों से भी लगाया जा सकता है, और कुछ प्रकरणों में, वास्तविक घावों के किसी भी संदर्भ के बिना भी सुनिश्चित किया जा सकता है। धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। ऐसा कृत्य हमला किए गए व्यक्ति के संबंध में किसी परिणाम के साथ न जुड़ा हो, फिर भी ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। यह अनिवार्य नहीं है कि हमले के शिकार को वास्तव में कारित चोट सामान्य परिस्थितियों में हमला किए गए व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना है कि क्या कृत्य, उसके परिणाम पर ध्यान दिए बिना, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान के साथ और परिस्थितियों में किया गया था। किसी कृत्य को आपराधिक मानने के लिए यह आवश्यक नही है कि वह अपराध की पूर्ति से ठीक पूर्व किया गया अंतिम कृत्य हो। विधि में यह पर्याप्त है, यदि इसके निष्पादन में कुछ प्रत्यक्ष कृत्य के साथ आशय मौजूद हो।
>
> 13. धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है यदि इसके निष्पादन में कुछ प्रत्यक्ष कृत्य के साथ आशय विद्यमान हो। यह अनिवार्य नहीं है कि जो मृत्यु कारित करने में सक्षम हो, ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाई गई हो। धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कृत्य, उसके परिणाम पर ध्यान दिए बिना, धारा में उल्लिखित आशय या ज्ञान के साथ और परिस्थितियों में कारित किया गया था। इसलिए, धारा 307 भा.दं.सं. के तहत आरोपित अभियुक्त को केवल इसलिए दोषमुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ित को पहुँचाई गई चोटें साधारण प्रकृति की थीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. मुन्नालाल (अभि.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तिथि पर, अपीलार्थी ने उसके सिर पर फरसे से हमला किया। डॉ. ए.के. अग्रवाल (अभि.सा.-1) ने अभिमत दिया कि चोट संख्या (i) पार्श्व-कनपटी क्षेत्र पर पाई गई और चोट संख्या (ii) पश्चकपाल क्षेत्र पर मौजूद थी और दोनों चोटें जीवन के लिए घातक थीं। वर्तमान प्रकरण में, उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, अपीलार्थी द्वारा हमले की रीति, कारित चोटों की प्रकृति, प्रहार की गंभीरता और हमले के लिए चुने गए शरीर के उपरोक्त हिस्से, स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के आशय को दर्शाते हैं जो पीड़ित के जीवन को समाप्त करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं था। अतः, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध के लिए उचित रूप से दोषसिद्ध किया।

18. पूर्वगामी कारणों से, मुझे विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है।

19. परिणामतः, अपील गुण विहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतदद्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

====0000====

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Ratna Sahu, Advocate